

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 1

अनुलग्नक-2

मध्य रेलवे

दस्तावेज सं. विआईजी-पीओएल-001, संशोधन-1

सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति

संशोधन संख्या	0	1	
जारी करने की तिथि	सितम्बर, 2022	सितम्बर, 2023	
कुल पृष्ठों की संख्या (कवर शीट सहित)	3	09	

द्वारा तैयार किया गया : ए. के. शर्मा, मुख्य सतर्कता अधिकारी (संकेत एवं दूरसंचार)

द्वारा अनुमोदित: प्रतीक गोस्वामी, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/मुख्य सतर्कता अधिकारी

(संशोधन के लिए संशोधन नियंत्रण पत्रक देखें)

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 2

संशोधन नियंत्रण पत्रक

दस्तावेज़ का प्रकार: सतर्कता दिशा-निर्देश

दस्तावेज़ सं. : वीआईजी-पीओएल-001, संशोधन-1

शीर्षक: सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति

संशोधन संख्या और तिथि	संशोधन का विवरण	द्वारा तैयार किया गया- नाम और हस्ताक्षर	द्वारा अनुमोदित-नाम और हस्ताक्षर
संशोधन-1, सितम्बर 2023	प्रारूप बदला गया. अनुच्छेद 1.0, 2.2, 5.1.2, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7 एवं 5.17 जोड़े गए . अनुच्छेद 4.0 संशोधित किया गया.	(हस्ताक्षरित/-) ए.के. शर्मा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सं. एवं. दू.)	(हस्ताक्षरित/-) प्रतीक गोस्वामी वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 3

मध्य रेलवे स्वामित्व

यह दस्तावेज़ मध्य रेलवे की संपत्ति है। मध्य रेलवे के साथ समझौते के अभाव में यहां मौजूद किसी भी जानकारी के दोहन या हस्तांतरण की अनुमति नहीं है और मध्य रेलवे की लिखित सहमति के बिना न तो दस्तावेज़ और न ही ऐसी कोई जानकारी जारी की जा सकती है।

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 4

1.0 प्रस्तावना

केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं-

- (i) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)
- (ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग (एवीडी)।
- (iii) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)।
- (iv) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य स्वायत्त संगठनों में सतर्कता इकाइयाँ यानी विभाग।
- (v) अनुशासनात्मक प्राधिकारी और
- (vi) पर्यवेक्षी अधिकारी।

[आईआरवीएम पैरा 201 और सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 1.1]

एवीडी सार्वजनिक सेवाओं में सतर्कता से संबंधित नियमों और विनियमों को कार्यान्वित करते हैं। सीबीआई की एसपीई विंग लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध करने और सतर्कता से जुड़े लोक सेवकों द्वारा कथित तौर पर किए गए अन्य कदाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास अपने नियंत्रण में लोक सेवकों के खिलाफ कथित या उनके द्वारा किए गए कदाचार की जांच करने और उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसके नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र के तहत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कदाचार/कुप्रथा को रोकने के लिए उचित निवारक उपाय की जानी आवश्यक है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रशासन में सतर्कता मामलों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण तथा सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के लिए सर्वोच्च संगठन के रूप में कार्य करता है।

भारतीय रेलवे पर सतर्कता संगठन का नेतृत्व प्रधान कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) करते हैं, (इसके बाद इसे "पीईडी-सतर्कता और सीवीओ-आईआर" के रूप में संदर्भित किया जाएगा), जो रेल मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य कार्यकारी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वह रेल मंत्रालय और सीवीसी के बीच की कड़ी हैं।

मध्य रेलवे में, सतर्कता संगठन का नेतृत्व सीवीओ द्वारा किया जाता है, जिसे मध्य रेलवे के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में भी नामित किया गया है, जो मध्य रेलवे में सतर्कता संगठन के प्रमुख होते हैं। वे सतर्कता मामलों पर पीईडी-सतर्कता और सीवीओ-आईआर के तकनीकी निर्देशों और पर्यवेक्षण के अनुसार कार्य करते हैं। मध्य रेलवे (इसके बाद इसे "केआरसीएल" कहा जाएगा) एक पीएसयू है। इसमें रत्नागिरी और कारवार दो क्षेत्र तथा अन्य केआरसीएल के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में इकाइयाँ शामिल हैं। मध्य रेलवे के मुख्य सतर्कता अधिकारी (इसके बाद इसे "सीवीओ-केआरसीएल" कहा जाएगा) सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सीएमडी, मध्य रेलवे के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 5

2.0 सामान्य विवरण

2.1 शिकायतें

मध्य रेलवे का सतर्कता विभाग अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय केआरसीएल के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और/या सतर्कता संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। रिश्तत की मांग और स्वीकृति, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति पर कब्जा, हेराफेरी, जालसाजी या धोखाधड़ी के मामलों में सतर्कता दृष्टिकोण स्पष्ट है। जानबूझकर की गई लापरवाही, निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन, विवेकाधिकार का लापरवाही से प्रयोग, किसी मामले के निपटान में कोई असम्यक/अनुचित देरी आदि में भी सतर्कता दृष्टिकोण मौजूद होता है। [आईआरवीएम पैरा 512]।

2.2 सीवीसी दिशानिर्देश

शिकायतों का निपटान केंद्रीय सतर्कता आयोग (इसके बाद इसे "सीवीसी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और भारतीय रेलवे सतर्कता मैनुअल (इसके बाद इसे "आईआरवीएम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के द्वारा जारी किए गए और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

सीवीसी की नवीनतम शिकायत प्रबंधन नीति और परिपत्रों, सीवीसी द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल तथा भारतीय रेलवे सतर्कता मैनुअल (आईआरवीएम) के आधार पर, मध्य रेलवे में शिकायतों के निपटान की नीति तैयार की गई है। शिकायत दर्ज करने से पहले शिकायत प्रबंधन नीति का अध्ययन करना आवश्यक है।

3.0 मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग का क्षेत्राधिकार

मध्य रेलवे के कर्मियों जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भ्रष्ट आचरण में शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग के अधिकार क्षेत्र में निजी व्यक्ति, अन्य सरकारी विभाग और भारतीय रेलवे की अन्य क्षेत्रीय रेल और संगठन शामिल नहीं हैं।

4. शिकायतें दर्ज करना

- 4.1 मध्य रेलवे के कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कथित भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें सीधे वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/मुख्य सतर्कता अधिकारी, मध्य रेलवे, द्वितीय तल, महाप्रबंधक कार्यालय, सीएसएमटी, मुंबई, 400001 को संबोधित की जानी चाहिए न कि वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी, मध्य रेलवे को प्रतिलिपि के रूप में भेजा जाना चाहिए। [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.4.2(iii)]।
- 4.2 मामले के विशिष्ट विवरण/जानकारी के साथ शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर के साथ अपना नाम और पूरा डाक का पता होना चाहिए। [सीवीसी शिकायत नीति और आईआरवीएम पैरा 509.1]।
- 4.3 चूंकि सतर्कता विभाग केवल भ्रष्टाचार के मामलों का निपटान करता है, इसलिए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/सीवीओ के पास भेजी गयी शिकायतों में परिवेदना (grievance) नहीं होना चाहिए।

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 6

- 4.4 सतर्कता विभाग के अधिकारियों की किसी भी ई-मेल आईडी पर भेजी गई शिकायतों पर सतर्कता विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा ई-मेल संलग्नक में विधिवत हस्ताक्षरित शिकायत, जिसमें प्रथम दृष्टया सतर्कता दृष्टिकोण से जुड़े सत्यापन योग्य आरोप शामिल हैं, भेजी जाती है, तो ऐसी शिकायतों का निपटारा निम्नलिखित पैरा 5 के अनुसार किया जायेगा। दूसरी ओर, यदि किसी हस्ताक्षरित संलग्नक के बिना ई-मेल के मेन बॉडी में आरोपों का स्पष्ट रूप से आदान-प्रदान किया जाता है, तो ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं लिया जाएगा और बस उसे फ़ाइल किया जाएगा (कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी)। [आईआरवीएम पैरा 514.10 और रेलवे बोर्ड के दिनांक 29.07.2022 के पत्र संख्या 2019/वी-1/आईआरवीएम/1/2 माध्यम से जारी स्पष्टीकरण]।
- 4.5 उपरोक्त के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से भेजी गई शिकायत, जैसे व्हाट्सएप, मोबाइल संदेश आदि पर सतर्कता विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा या संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
- 4.6 जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) 2004 के तहत व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को दर्ज करना:**
- 4.6.1 यदि कोई शिकायतकर्ता अपना नाम गुप्त रखना चाहता है, तो उसे "जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) 2004" (इसके बाद "पीआईडीपीआईआर" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत शिकायत दर्ज करनी चाहिए, जिसे व्हिसल ब्लोअर प्रावधान [सीवीसी शिकायत नीति] के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को नामित एजेंसी के रूप में पीआईडीपीआईआर [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.3.1(x)] के तहत लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 17.05.2004 के कार्यालय आदेश संख्या 33/5/2005 के तहत पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 4.1.2] के तहत व्हिसल ब्लोअर की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश और सार्वजनिक नोटिस जारी की है।
- 4.6.2 ऐसी शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए। लिफाफे को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए और उस पर "जनहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" या "पीआईडीपीआई शिकायत" लिखा होना चाहिए। [आईआरवीएम पैरा 504.3 और सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 4.2.1 (ए) और (बी)]।
- 4.6.3 ऐसी शिकायतें संबंधित अन्य नामित निर्दिष्ट प्राधिकारियों के पास भी सीधे दर्ज की जा सकती हैं। मध्य रेलवे सहित भारतीय रेलवे की सभी इकाइयों के लिए पीआईडीपीआईआर के तहत दायर शिकायतों को प्राप्त करने के लिए प्रधान कार्यकारी निदेशक(सतर्कता) और मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेल मंत्रालय, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 नामित निर्दिष्ट प्राधिकारी हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/सीवीओ मध्य रेल व्हिसल ब्लोअर

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 7

की शिकायतें (पीआईडीपीआईआर के तहत दायर की गई शिकायतें) प्राप्त करने के लिए नामित निर्दिष्ट प्राधिकारी नहीं हैं।

- 4.6.4 शिकायतकर्ता को शिकायत की शुरुआत या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता लिखना आवश्यक हैं [आईआरवीएम पैरा 504.3 (ii), सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 4.2.1 (बी) (i)]
- 4.6.5 शिकायत के पाठ को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न मिल सके। तथापि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए। [आईआरवीएम पैरा 504.3 (iv), सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 4.2.1 (डी)]
- 4.6.6 हालांकि, शिकायतकर्ता से वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/सीवीओ मध्य रेल द्वारा सीधे प्राप्त ऐसी किसी भी शिकायत को लिफाफे को खोले बिना आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए रेल मंत्रालय के नामित निर्दिष्ट प्राधिकारी अर्थात् पीईडी (सतर्कता) और सीवीओ-आईआर, रेल मंत्रालय को अग्रेषित किया जाएगा।
- 4.6.7 पीआईडीपीआई संकल्प [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 4.2.1(एफ)] के तहत प्रेरित/परेशान करने वाली शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

5.0 वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/सीवीओ मध्य रेल द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई:

- 5.1 मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा केवल उन्हीं शिकायतों की जांच/कार्रवाई की जाएगी जो वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/सीवीओ मध्य रेल के अधिकार क्षेत्र में हैं और जिनमें भ्रष्टाचार और/अथवा सतर्कता के संबंध में आरोप हैं।

शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे शिकायत दर्ज करते समय अपना सही नाम, डाक पता और संपर्क विवरण दें। यह सीवीसी के दिनांक 23.01.2015 के परिपत्र संख्या 01/01/2015 के संदर्भ में शिकायतकर्ता से पुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। शिकायतकर्ता को शिकायत (वास्तविकता का सत्यापन) के स्वामित्व/स्वामित्व को रद्द करने के लिए एक पत्र भेजा जाएगा। किसी भी शिकायत पर शिकायतकर्ता से पुष्टि प्राप्त किए बिना शिकायतों पर कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी। [आईआरवीएम पैरा 508.1 और 509.5]।

- 5.2 यदि शिकायत ऐसे कर्मियों के खिलाफ है, जो रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के दायरे में आता है, तो इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पीईडी (सतर्कता) और सीवीओ-आईआर को भेज दिया जाएगा।
- 5.3 वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/सीवीओ मध्य रेल द्वारा शिकायतकर्ता से सीधे प्राप्त पीआईडीपीआई शिकायतों को लिफाफा खोले बिना आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए रेलवे मंत्रालय

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 8

- के लिए नामित प्राधिकारी यानी पीईडी(सतर्कता) और सीवीओ-आईआर को भेज दिया जाएगा [आईआरवीएम पैरा 504.6]।
- 5.4 यदि शिकायतकर्ता ने शिकायत के मुख्य भाग में अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया है, तो शिकायत फ़ाइल कर दी जाएगी (कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी) और शिकायतकर्ता को ऊपर पैरा 4.6 में वर्णित पीआईडीपीआईआर के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए सूचित किया जाएगा। [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 4.2.2 (डी)]।
- 5.5 यदि शिकायत मध्य रेलवे से संबंधित नहीं पाई जाती है, तो उसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/पीयू को भेज दिया जाएगा।
- 5.6 किसी भी सतर्कता दृष्टिकोण से रहित आरोपों वाली शिकायत या ऐसे आरोप जो प्रशासनिक प्रकृति के हैं या जिनमें शिकायत निवारण के अनुरोध शामिल हैं, उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजा जाएगा [आईआरवीएम पैरा 514.4, 516.6(iv) और सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.4.3 (ए)(i)].
- 5.7 यदि शिकायत में उठाया गया मामला रेलवे से संबंधित नहीं है, तो ऐसी शिकायतें केवल फाइल की जाएंगी (कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी)।
- 5.8 जो शिकायतें निजी व्यक्तियों, निजी संगठनों के अधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों के खिलाफ हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें फाइल किया जाएगा (कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी)। [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.3.1(vii)]
- 5.9 सतर्कता विभाग के अधिकारियों की किसी भी ई-मेल आईडी पर भेजी गई शिकायतें जो ई-मेल के संलग्नक में हस्ताक्षरित शिकायत बिना भेजी गयी हों, उन पर सतर्कता विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकायत केवल फाइल की जाएगी (कोई कार्रवाई नहीं की गई)
- [आईआरवीएम पैरा 514.10 और रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2019/वी-1/आईआरवीएम/1/2 दिनांक 29.07.2022 द्वारा जारी स्पष्टीकरण]।
- 5.10 ऐसी शिकायतें, जो पर्याप्त सत्यापन योग्य विवरण/तथ्यों के बिना दर्ज की गई हैं और जो अपूर्ण/अस्पष्ट हैं या सामान्य आरोप और बेहूदा शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी [आईआरवीएम पैरा 516.6(ii) और सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.4.2 (ए)(ii), 3.11.2(सी), 3.4.3(ए)(v)]।
- 5.11 ऐसी शिकायतें, जिनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जो किसी सक्षम अदालत या न्यायाधिकरण या प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं, उन्हें फाइल किया जाएगा (कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी) [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.4.3(ए)(vi)]
- 5.12 कोई भी शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता का नाम और पता नहीं होता, वह गुमनाम शिकायत होती है। ऐसी शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता का पूरा विवरण नहीं होता है या अहस्ताक्षरित होती है या बाद में शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे कृतकनामीय शिकायत माना जाएगा। [आईआरवीएम पैरा 509.1]।

मध्य रेलवे	
सतर्कता शिकायत प्रबंधन नीति संशोधन सं. 1	पेज 9 में से 9

सीवीसी के परिपत्र संख्या 07/11/2014 दिनांक 25-11-2014 के अनुरूप गुमनाम/झुटे नाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसी शिकायतों को फाइल किया जाएगा (कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी)। [आईआरवीएम पैरा 509.3 और सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.10.1]।

- 5.13 अस्पष्ट शिकायतें फाइल की जाएंगी (कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी)। [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.4.3(ए)(ix)]
- 5.14 बेहूदा शिकायतें (अविश्वसनीय शिकायत) करने वाले व्यक्ति की कोई भी शिकायत फाइल की जाएगी (कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी) [आईआरवीएम पैरा 514.3]।
- 5.15 शिकायतकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एक ही विषय पर बार-बार शिकायत दर्ज न कराएं। ऐसी बार-बार आने वाली शिकायतों को पहले प्राप्त शिकायतों के साथ मिला दिया जाएगा और तदनुसार निपटान किया जाएगा।
- 5.16 एक बार वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/मुख्य सतर्कता अधिकारी, मध्य रेलवे के कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने पर, मामले में आगे के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, इन शिकायतों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। [सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.4.2(डी)]
- 5.17 जो शिकायतें पैरा संख्या 5.2 से 5.15 में दिए गए मानदंडों के अंतर्गत आती हैं, उन्हें या तो फाइल/विलय किया जा सकता है और/या आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग/प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

6.0 झूठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई:

- 6.1 यदि किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत दुर्भावनापूर्ण, परेशान करने वाली या निराधार पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार झूठी शिकायत करने का आरोप लगाया जा सकता है। [आईआरवीएम पैरा 510 और सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.12]।
- 6.2 इसके अलावा, यदि झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है। [आईआरवीएम पैरा 510 और सीवीसी सतर्कता मैनुअल पैरा 3.12]।
